प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ ।

सेवा में

निदेशक,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग
कल्याण विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।

क्रमांक 1696–स0क0(1)
दिनांक 18–8–09

विषयः– **डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी छात्र संशोधित योजना ।**

उपरोक्त विषय पर हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 75–स.क.(1)–2008 दिनांक 16–1–08 के संदर्भ में ।

हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्ग के मेद्यावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2009–10 के सैशन से डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी छात्र योजना नामक संशोधित योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है । इस स्कीम में विभाग द्वारा पहले से कार्यान्वित की जा रही निम्नलिखित तीन स्कीमें मर्ज कर दी गई हैं ।

1) Providing of free residential facilities to the meritorious SC students.
2) Merit scholarship to SC girl students from 9^{th} to 12^{th} classes.
3) Meritorious Incentive to the Scheduled Caste students who get division from Post Matric to Post Graduate.

स्कीम का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से हैः–

2. <u>उद्देश्य</u>

शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्गो के छात्र अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से इन वर्गो के छात्र उच्च कक्षाओं में सामान्य श्रेणी के छात्रों के मुकाबले में पिछड जाते हैं । इसलिए इन वर्गो के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के उदेश्य से उनका मनोबल बढाने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में सम्मानित किया जाना आवश्यक है । अतः इस स्कीम का मुख्य उदेश्य अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्गो के छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करके मिडल से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है ।

3.छात्रवृति की दरें

क) अनुसूचित जाति

छात्रवृति की आधार	आधार कक्षा में प्राप्त अकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
1	2		3	4
मैट्रिक	70	60	11वीं तथा सभी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000/–
10+2	75	70	ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1) आर्टस 2) कामर्स/साईंस तथा सभी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष 3) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी /व्यवसायिक कोर्सिज 4) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	 8000/– 8000/– 9000/– 10,000/
ग्रेजुएशन	65	60	पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष 1) आर्टस/कामर्स/साईंस 2) इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी/ व्यवसायिक कोर्सिज 3) मैडीकल तथा अलाईड कोर्सिज	 9000/– 11000/– 12000/–

ख) पिछडे वर्ग ब्लॉक ए

छात्रवृति की आधार पर की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान कीी जाएगी	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
मैट्रिक	70	60	11वीं तथा सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000/–

ग) पिछडे वर्ग ब्लॉक बी

छात्रवृति की आधार परीक्षा	आधार कक्षा में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता		कक्षा जिसमें छात्रवृति प्रदान की जाएगी	छात्रवृति की दर (प्रतिवर्ष)
	शहरी	ग्रामीण		
मैट्रिक	80	75	11वीं तथा सभी डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्सिज का प्रथम वर्ष	8000/–

4 छात्रवृति हेतु पात्रता की शर्ते

1. विद्यार्थी हरियाणा का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति/पिछडे वर्ग से सम्बंधित होना चाहिए
2. अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्गो के छात्रों को यह छात्रवृति स्कीम के पैरा नं0 3 में वर्णित कक्षाओं में सभी स्ट्रीमज में आधार परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर दी जाएगी ।
3. यह छात्रवृति सभी सरकारी/गैर सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों, कालेजों, संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में पढने वाले छात्रों को प्रदान की जाएगी ।
4. यह स्कीम मैरिट पर आधारित है। इसलिए जो छात्र इन वर्गो के छात्रों हेतु चलाई जा रही सामान्य स्कीमों के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त कर रहे हैं, वे छात्र इस स्कीम के अन्तर्गत भी छात्रवृति पाने के पात्र होंगे, परन्तु मैरिट आधारित किसी अन्य स्कीम के अन्तर्गत पात्र नहीं होंगे।
5. छात्र की सभी साधानों से वर्षिक पारिवारिक आय 4.00 लाख रूपये से अधिक न हो।

5. क्षेत्र अनुपात

यह छात्रवृति 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को तथा 40 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के छात्रों को प्रदान की जाएगी । किसी क्षेत्र के निर्धारित रेशों से कम छात्र पाए जाने पर छात्रवृति दूसरे क्षेत्र के छात्रों को प्रदान कर दी जाएगी ।

6.स्कीम को परिपालित करने की प्रणाली

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष समाचार पत्रो/अन्य प्रचार माध्यमों के द्वारा पात्र छात्रों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएगें । छात्र अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्ण रूप से भरकर अपने मुख्याध्यापक/प्रधानाचार्य/संस्था के मुखिया के माध्यम से अपने मूल जिले के जिला कल्याण अधिकारी को विभाग द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवश्य भेजेगें । आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति/पिछडी जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र तथा आधार परीक्षा पास करने के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां लगानी आवश्यक होंगी तथा आवेदन पत्र फार्म के साथ विद्यार्थी अपना बैंक खाता नं0 व बैंक के पूर्ण पते सहित विवरण/कागजात भी साथ सलंग्न करेगा । अधूरे/अपूर्ण आवेदन पत्र रद्द किए जा सकते हैं । निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्र के साथ सलंग्न दस्तावेजों सहित चैक करके छात्रवृति स्वीकृत की जाएगी । आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष विभाग द्वारा 31 अगस्त तक विज्ञापन जारी किया जाएगा तथा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर होंगी । विभाग द्वारा आवेदन पत्रों की जांच आदि का कार्य 31 अम्तूबर तक पूरा किया जाएगा तथा 30 नवम्बर तक राशि छात्रों के खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी ।

7. राशि स्वीकृति तथा आदान एवं वितरण अधिकारी

स्कीम के पैरा नं0 3 में वर्णित विवरण अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछडे वर्ग के छात्रों को राशि स्वीकृत करके खजाने से ड्रा करने हेतु सम्बंधित जिला कल्याण अधिकारी सक्षम होंगे तथा स्वीकृत राशि उन द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी ।

8. स्कीम को सुचारू रूप से परिपालना हेतु आवश्यक हिदायतें जारी करने के लिए निदेशक, अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा सक्षम होंगे, जो कि इस स्कीम के कन्ट्रोलिंग अधिकारी है।

9. यह संशोधित स्कीम वित्त वर्ष 2009–10 से परिपालित की जाएगी । वित्त वर्ष 2008–09 के दौरान पुरानी डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी छात्र योजना के अन्तर्गत छात्रवृति प्राप्त करने वाले छात्रों को दूसरे वर्ष 2009–10 में अर्थात नवीकरण के केसिज में छात्रवृति पूर्व दरों पर ही दी जाएगी । इसी प्रकार जो अन्य तीन स्कीमें इस स्कीम में मर्ज की गई हैं, उनके अन्तर्गत वर्ष 2008–09 तक का एरियर उन स्कीमों की पूर्व दरों अनुसार चालू वित्त वर्ष 2009–10 में दिया जाएगा ।

10 लेखा शीर्ष

यह राशि विभाग के निम्नलिखित लेखा शीर्ष में से सम्बंधित जिला के खजाना से जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा ड्रा करके वितरित की जाएगी :–

'2225–अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछडे वर्गो का कल्याण,

01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा, 77–डॉ0 अम्बेडकर मेद्यावी

छात्र योजना (प्लान)' 2009–10

यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशाः कमांक 1/24/92–5 एफ0जी0–11/1615 दिनांक 13–8–09 द्वारा दी गई मंत्रणा अनुसार जारी की जा रही है ।

सयुंक्त सचिव,
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ ।

पृ0 कमांक 1696–स0क0(1) दिनांक 18.8.2009

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हरियाणा, चण्डीगढ ।
2- महालेखाकार (आडिट), हरियाणा, चण्डीगढ ।
3- वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,हरियाणा सरकार, चिकित्सा शिक्षा विभाग ।
4- उच्चतर शिक्षा आयुक्त, हरियाणा, पंचकूला ।
5- महानिदेशक, सकैण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ ।
6- महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा, पंचकूला ।
7- निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, हरियाणा, पंचकूला ।
8- निदेशक, औद्यौगिक प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ
9- सभी उपायुक्त,हरियाणा राज्य में ।
10- रजिस्ट्रार, हरियाणा राज्य में स्थित सभी विश्वविद्यालय ।
11- सचिव, केन्द्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पंचकूला ।
12- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी ।
13- सभी जिला कल्याण अधिकारी, हरियाणा राज्य में ।

सयुंक्त सचिव,
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण
विभाग, चण्डीगढ ।

इसकी एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग को उनके अशाः कमांक 1/24/92–5एफ0जी0–11/1615 दिनांक 13–8–09 के संदर्भ में प्रेषित है ।

सयुंक्त सचिव,
कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,